

MMTC LIMITED: CORPORATE OFFICE
PERSONNEL DIVISION
(IR SECTION)

No.253/IR/CO/2014

07.02.2019

CIRCULAR No. 05/2019

For consideration and approval of the Unaudited Financial Results (UFR) for the quarter ended on 31.12.2018, the meeting of Board of Directors has been scheduled to be held on **14.02.2019**. In terms of clause 9 of "Code of Conduct for Regulating and Reporting Trading by Insiders and for Fair Disclosures, 2015" and clause 7.2 (b) and clause 7.3 of "MMTC Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" notified vide Circular no. 80 dated 04.01.2013, it is bring to the notice of all concerned that "Trading Window" shall remain closed for the period **07.02.2019 to 16.02.2019(both days inclusive)**.

"Trading window" is defined vide above circular as trading period for trading in the Company's Securities.

All concerned are requested to adhere to above Code of Conduct available on MMTC website under "Investors" information. It may be mentioned that when the trading window is closed, no Directors or employees of MMTC shall trade in MMTC securities. The trading window restrictions shall also be applicable to any person having contractual or fiduciary relation with the Company e.g. Auditors, accountancy firms, law firms, analyst, consultants etc, assisting or advising the Company.



(V. K. PANDEY)

CHIEF GENERAL MANAGER (P)

Copy To:

1. ES to CMD/PSs to Directors/CVO
2. All CGMs/GMs/AGMs/ Company Secretary at CO
3. All Regional Heads.
4. Secretary General Federation of MMTC Officers' Associations, Jaipur/ Staff Unions, New Delhi and SC/ST Welfare Associations, New Delhi.
5. Notice Board
6. Office Order File
7. GM(Systems)- with a request to arrange to host the above circular on MMTC website and Intranet.

एमएमटीसी लिमिटेड : कारपोरेट कार्यालय

कार्मिक प्रभाग

(आईआर अनुभाग)

संख्या 253/आईआर/सीओ/ 2014

दिनांक 07.02.2019

परिपत्र संख्या 05 /2019

दिनांक 31.12.2018 को समाप्त तिमाही के यू. एफ. आर. के अनुमोदन हेतु दिनांक 14.02.2018 को निदेशक मंडल की बैठक होने वाली है। धारा 9 के अनुसार "इनसाइडर के द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन एवं रिपोर्टिंग की आचार संहिता एवं फेयर प्रकटन 2015" एवं धारा 7.2 (बी) तथा धारा 7.3 एवं दिनांक 04.01.2013 के परिपत्र संख्या 80 के अनुसार सभी संबंधितों की सूचना के लिए 'एमएमटीसी की आचार संहिता के अधीन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने' हेतु कंपनी की "ट्रेडिंग विंडो" दिनांक 07.02.2019 से 16.02.2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार "ट्रेडिंग विंडो" में परिभाषित ट्रेडिंग अवधि कंपनी की सिक्यूरिटीज की ट्रेडिंग के संबंध में है।

एमएमटीसी की वेबसाइट में "इनवेसटर्स" के अंतर्गत दी गई सूचना के अनुसार सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि के दौरान एमएमटीसी के निदेशकों सहित कोई भी कार्मिक एमएमटीसी की प्रतिभूति (सिक्यूरिटीज) का व्यापार नहीं करेगा। ट्रेडिंग विंडो का प्रतिबंध ऐसे व्यक्ति जिनका कंपनी के साथ संविदात्मक अथवा वैश्वासिक (फिडूशिअरी) संबंध जैसे लेखा परीक्षक, लेखा(अकाउंटेंसी) फर्म, विधि फर्म, विश्लेषक, कन्सलटेंट्स इत्यादि जोकि कंपनी की सहायता एवं सलाह देने का कार्य करते हैं उन पर भी लागू रहेगा।



(वी. के. पाण्डे)

मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रति:

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव/निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव
2. कारपोरेट कार्यालय के सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक
3. सभी क्षेत्रीय प्रमुख
4. सूचना पट्ट
5. कार्यालय आदेश फाइल
6. महासचिव, एमएमटीसी अधिकारी महासंघ, जयपुर / स्टाफ यूनियन, नई दिल्ली तथा एससी/एसटी वेलफेयर एशोसियेशन, नई दिल्ली ।
7. महाप्रबंधक (सिस्टम) - इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को एमएमटीसी वेबसाइट एवं इंटरनेट पर प्रदर्शित करें